रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2016, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1938

No. 32] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2016, SATURDAY/ SRAVANA 9— SRAVANA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

का.आ. 1565.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80% से अधिक हो जाने के फलस्वरूप इन कार्यालयों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरबी/आईटीओ, नई दिल्ली-110002

सीमा सुरक्षा बल पुलिस

1. 167 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल,
   गांव एवं पोस्ट - खगड़ा, सर्किट हाऊस,
   जिला - किशन गंज, बिहार-855107

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

का.आ. 1616.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 अगस्त, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

"नैनीताल एवं देहरादून जिले में आने वाले सभी राजस्व ग्राम एवं क्षेत्र [उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां पर क.रा. बी. अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही प्रवृत की जा चुकी हो]।"

[सं. एस-38013/32/2016-एस.एस.-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2016

S.O. 1616.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st August, 2016, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following entire districts (including already implemented areas) in the State of Uttarakhand namely:—

"All the Revenue Villages and Areas under Nainital and Dehardun Districts [Excluding areas where ESI Scheme have been brought into force under Section 1(3) of ESI Act, 1948]."

[No. S-38013/32/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

का.आ. 1617.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 अगस्त, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-IV (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी हैं) अध्याय- V और VI [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा -77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध तेलंगाना राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्रम संख्या	जिले का नाम
1.	नलगोंडा
2.	वारंगल
3.	करीमनगर

[सं. एस-38013/33/2016-एस.एस.-1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 2016

S.O. 1617.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st August, 2016, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following entire districts (including already implemented areas) in the State of Telengana, namely:—

Sr. No.	Name of the District
1.	Nalgonda
2.	Warangal
3.	Karimnagar

[No. S-38013/33/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.30 15:40:23 +05'30'